खाकी बिहार में रोजगार के रास्ते आएगी कानून-व्यवस्था

विकास नारायण राय

क्या यह भी बताने की जरूरत है कि रोजगार और कानून-व्यवस्था के बीच किस कदर सीधा सम्बन्ध होता है। रोजगार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने का श्रेय तेजस्वी को दिया जा रहा है और ऐसे में मतदाता के लिए अंतिम चरण में पहुंचे बिहार मतदान में चुनने को यही प्रमुख मुद्दा भी रहने जा रहा है। एक पत्यक्ष सरकारी रोज़गार कितने ही अप्रत्यक्ष रोज़गारों को भी जन्म देता है और उसी क्रम में कानून-व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में भी।

बेशक प्रधानमन्त्री मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार की गर्मी में लालू यादव-राबड़ी देवी के 15 वर्ष के शासन की याद दिलाते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार उनके बेटे को जंगलराज का युवराज कहा हो, एक पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते मैं बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की ही जीत देखना चाहूँगा। क्यों? तेजस्वी के पक्ष में मेरा सीधा तर्क होगा- इस युवा का अपनी सरकार बनने पर पहली कलम से दस लाख रोजगार देने का वादा, जिस पर बिहार का हताश वोटर भी आज विश्वास करना चाहेगा।

तेजस्वी के 'दस लाख रोजगार' के मुकाबले में 'मेरा आखिरी चुनाव' की भावनात्मक अपील पर निर्भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रोजगार नीति को लेकर क्या आशा की जा सकती है? उनकी ओर से बतौर राज्य के मुख्यमंत्री 15 साल के कार्यकाल में कुल चार लाख रोजगार दे पाने का दावा किया गया है। यही नहीं, वे लगातार तेजस्वी के दस लाख रोजगार के वादे को भ्रामक करार दे रहे हैं। उनका यह तर्क कि राज्य के पास रोजगार देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, चुनावी माहौल में शायद ही व्यापक मतदाता समूह के गले उतरे।

नीतीश कुमार लाख कोशिशों पर भी राज्य में लालू के जंगल राज की वापसी का हौव्वा नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। पिछला चुनाव तो उन्होंने लालू संग ही लड़ा था और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर स्वयं उनकी अपनी उपलब्धि इस बार नेगेटिव रही है। बालिका गृह यौन-शोषण काण्ड की पोक्सो आरोपी मंजु वर्मा तक को टिकट देने में उन्होंने परहेज नहीं किया। योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं में 'घुसपैठियों' को सिटिजनशिप एक्ट की मार्फत देश से निकालने की धमकी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अराजकता का ऐसा सन्देश है जो नीतीश कुमार के मुस्लिम वोटरों को उनसे विमुख करेगा ही।

दरअसल, बतौर मुख्यमंत्री पहली पारी में नीतीश की एक बड़ी उपलब्धि उनकी अच्छी कानून-व्यवस्था ही हुआ करती थी। इस मोर्चे पर निराशाजनक लम्बे लालू

बिहार के लोग रोजगार की मार्फ़त कानून-व्यवस्था की वापसी चाहते हैं, न कि जंगल राज के जरिए

अध्याय के बाद अपराधी तत्वों के खिलाफ नीतीश के आश्वस्तकारी प्रशासनिक चैप्टर ने उन्हें 2010 में लोगों से दोबारा मुख्यमंत्री की सनद भी दिलायी। हालाँकि इस बार वे अच्छी कानून-व्यवस्था के एजेंडे पर टिक नहीं सके।

उन्होंने राज्य में गुजरात की तर्ज पर पूर्ण शराबबंदी लागू कर एक अपराध-विरोधी प्रशासनिक छवि बनाने का दांव जरूर खेला लेकिन जल्द ही यह पहल भी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गयी। भारत ही नहीं दुनिया के पैमाने पर एक जाना-पहचाना नियम है- पूर्ण शराबबंदी का मतलब पूर्ण असफलता और ज्यादा अपराधीकरण ही होता है। रूस और अमेरिका जैसे देश भी इस प्रयास में मुंह की खा चुके हैं। हरियाणा ने इसका खामियाजा भुगता हुआ है; गुजरात में यह आज 30 हजार करोड़ का अवैध धंधा बना हुआ है। नीतीश के बिहार में भी शराब का अवैध कारोबार राजनेता-पुलिस-एक्साइज़-माफिया के बीच 10 हजार करोड़ के बन्दर-बाँट में बदल चुका है।

नीतीश की शराबबंदी ने राज्य का खजाना भी खाली कर दिया। दस लाख रोजगार देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उनके इस चुनावी सवाल का जवाब तेजस्वी चाहें तो कभी भी दे सकते हैं- शराबबंदी ख़त्म करके। दरअसल, यदि राज्य में शराब का कारोबार आम लोगों का कल्याण ध्यान में रखकर व्यवस्थित किया जा सके तो यह बेहतर अर्थ-व्यवस्था ही नहीं बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए भी एक उत्प्रेरक सिद्ध होगा।

यह भी कडुवी सच्चाई है कि चुनाव उपरान्त राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ चुके नीतीश की शासन में भाजपा के साथ भागीदारी बिहार में कानून-व्यवस्था को और पतन के रास्ते पर ही ले जायेगी। हालिया घोषणा के मुताबिक़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्य 'लव जिहाद' पर कानून बनायेंगे। बलात्कार और स्त्री-शोषण की मानसिकता के आगे घुटने टेक भाजपायी अब इस रूप में स्त्री सुरक्षा का एक और हवा-हवाई तिलिस्म खड़ा करने जा रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि पार्टी की प्रतिगामी संस्कृति के अनुरूप ऐसे कानूनों में मुस्लिम द्वेषी भावना के साथ स्त्री द्वेषी भावना भी प्रचुर मात्रा में निहित मिले। भाजपा शासित बिहार इससे अछूता कैसे रहने दिया जाएगा?

तेजस्वी के लिए बिहार की जनता का क्या सन्देश होना चाहिए? यही कि वे रोजगार की मार्फ़त कानून-व्यवस्था की वापसी चाहते हैं, न कि जंगल राज की।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

राष्ट्रीय हरियाणा में न तो छोरी बचाई जा रही, न पढ़ाई जा रही

यूसुफ किरमानी

क्या भारत में हिन्दू और मुसलमान के बालिग लड़के लड़कियां अब आपस में मोहब्बत नहीं कर पायेंगे? 'लव जिहाद' पर यूपी और हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार की कोशिशें तो यही बता रही हैं। लेकिन सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे रोकने के सारे करतब नाकाम हो गए हैं।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में 31 अक्टूबर को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि "अगर लव जिहाद वाले नहीं सुधरे तो उनके रामनाम सत्य की यात्रा निकाली जाएगी।" 'रामनाम सत्य है' आमतौर पर किसी शव यात्रा के समय बोला जाता है। ये वही योगी हैं जिन्होंने 2017 में रोमियो स्क्वॉड बनाने की घोषणा की थी। यह दस्ता उन युवक-युवतियों पर नजर रखने को बनाया जाना था जो पार्कों या रेस्तरां वगैरह में बैठकर अपने इश्क का इजहार करते हैं। लेकिन रोमियो स्क्वॉड को कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन अब योगी लव जिहाद से दो-दो हाथ करने का संकल्प दोहरा रहे हैं।

योगी ने लव जिहाद के खात्मे की बात दरअसल 26 अक्टूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) में 21 साल की कॉलेज छात्रा निकिता तोमर की कॉलेज के पास सरेआम हत्या पर कही। इसका वीडियो वायरल हुआ था। कॉलेज छात्रा की हत्या का आरोप निकिता के दोस्त एक मुस्लिम युवक तौसीफ पर है, जिसे फरीदाबाद पुलिस ने घटना के पांच घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस पर एसआईटी बन चुकी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात भी चल रही है। दक्षिणपंथी संगठनों ने घटना के फौरन बाद इसे लव जिहाद बताया। राजनीति से भी जोड़ा। हालांकि पुलिस रेकॉर्ड के मुताबिक लड़की के अपहरण की एफआईआर 2018 में दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोपी यही तौसीफ था लेकिन निकिता के माता-पिता का उससे बाद में समझौता हो गया और शिकायत वापस ले ली गई थी।

योगी के बयान के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 1 नवंबर को ट्वीट

जब महिला-पुरुष के अनुपात की बात होती है तो हरियाणा की स्थिति सबसे खराब है

किया कि "हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार हो रहा है। इसका इलाज जरूरी है ताकि हिन्दू लड़कियों को बचाया जा सके।" लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा रोशनी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डाली। उन्होंने विज के ट्वीट के कुछ देर बाद 1 नवंबर को ही चंडीगढ़ में कहा "लव जिहाद पर केंद्र सरकार भी कानून बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि निकिता तोमर का मामला लव जिहाद से जुड़ गया है तो केंद्र और हरियाणा दोनों ही इस कानून पर विचार कर रहे हैं। ताकि कोई निर्दोष न फंसे और दोषी बच नहीं सके।"

खट्टर जहां इस संबंध में केंद्र द्वारा कानून बनाने पर विचार करने की बात कह रहे हैं, वहीं केंद्र ने इसी साल फरवरी में संसद को बताया कि 'लव जिहाद' किसी भी मौजूदा कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। इस संबंध में किसी भी केंद्रीय एजेंसी को कोई केस भी नहीं मिला है। खट्टर के बयान के बाद केंद्र सरकार ने इस लेख के लिखे जाने तक लव जिहाद पर स्थिति साफ नहीं की है।

हरियाणा वह राज्य है जहां नारा दिया गया है, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। लेकिन जब महिला-पुरुष के अनुपात की बात होती है तो हरियाणा की स्थिति सबसे खराब है। हरियाणा-पंजाब के प्रमुख अखबार 'द ट्रिब्यून' ने 11 अगस्त 2020 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। जिसमें कहा गया है कि जुलाई 2020 तक हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। लेकिन 2019 में यही लिंगानुपात 1000 पर 923 महिलाओं का था। यानी 2020 में गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा में भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त कानून है लेकिन राज्य में भ्रूण हत्या रुक नहीं पा रही है यानी बेटियां बच नहीं पा रही हैं। सरकार का ध्यान इन बेटियों के बचाने पर नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस इस पर सवाल उठाती रही है। लड़कियों की कमी के चलते दूसरे राज्यों से पैसे से खरीद कर महिलाओं को हरियाणा में बेचे जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं।

एक तरफ तो हरियाणा असमान लिंगानुपात से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ महिला विरोधी अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में फरवरी 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट में हरियाणा के रहने वाले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक ट्वीट है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में हर 24 घंटे में चार रेप, तीन हत्याएं, 10 अपहरण और पांच बच्चों के साथ यौन अपराध होता है। सुरजेवाला के इस आरोप की पुष्टि खुद गृह मंत्री अनिल विज ने फरवरी 2020 में विधानसभा सत्र के दौरान की। इसी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सदन को बताया कि 2018 के मुकाबले 2019 में हरियाणा में महिला विरोधी अपराध और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। विज ने विधानसभा को बताया कि हरियाणा में महिला विरोधी अपराध के 4868 मामले दर्ज किए गए। 2018 के मुकाबले 2019 में 17.27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। हत्या के मामलों में भी 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

हरियाणा महिला आयोग ने लॉकडाउन के दौरान महिला विरोधी अपराधों के आंकड़ों पर अध्ययन किया। आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने 4 मई 2020 को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि 22 मार्च से लेकर 28 अप्रैल 2020 तक महिला विरोधी अपराधों में 78 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रीति भारद्वाज इस बात पर खुश हैं कि जब इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर महिला विरोधी अपराधों में 92 फीसदी का इजाफा हुआ है तो हरियाणा में यह फिर भी 78 फीसदी है। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर कहते हैं कि जब से राज्य में महिला थाने खुले हैं, तब से यह आंकड़ा बढ़ रहा है।

इससे पहले 2018 में नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिछले दो साल में यानी 2016 से हरियाणा में महिला विरोधी मामलों में 45 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में भाजपा की सरकार 2014 में बनी थी। इस तरह 2018, 2019 और 2020 में राज्य में महिला विरोधी अपराध के आंकड़े बेतहाशा बढ़ रहे हैं।

महिला विरोधी अपराधों में पुलिस वालों तक के शामिल होने के आरोप हैं। सोनीपत के बुटाना पुलिस चौकी में दलित किशोरी के साथ 10-12 पुलिस वालों के गैंगरेप का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। यह घटना दब गई थी लेकिन हरियाणा के एक साप्ताहिक अखबार 'मजदूर मोर्चा' ने इस मामले को पुलिया कहानी से अलग एंगल कवर करते हुए सबसे पहले उठाया। उसकी टीम ने जाकर वहां मामले की पड़ताल की। अब चंडीगढ़ के एनजीओ 'बेखौफ आजादी' और भीम आर्मी हरियाणा ने इस पर आंदोलन छेड़ दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच के करने के लिए बुटाना जा पहुंची। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लड़की की मां ने याचिका भी दायर कर दी है। बुटाना में 29 जून की रात दो पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। हरियाणा सरकार ने इन्हें फौरन शहीद घोषित कर दिया। अगले दिन हरियाणा पुलिस ने जीन्द में अमित नामक युवक का कथित एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बुटाना गांव में कई परिवारों की लड़कियों को उठाकर चौकी में ले जाकर पूछताछ की। पुलिस को उन दो चचेरी बहनों की तलाश थी जो अमित की दोस्त थीं और उस रात पुलिस वालों की हत्या की चश्मदीद भी थीं। पुलिस का आरोप है कि दोनों पुलिस वालों की हत्या अमित ने की थी और ये दोनों चचेरी बहनें उसमें शामिल थीं। पुलिस ने जब बुटाना में दबिश देना जारी रखा तो दोनों लड़कियों के घर वालों ने उन्हें पुलिस के सामने पेश किया। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से कई दिनों तक चौकी में रखा और बारी-बारी से नाबालिग किशोरी से गैंगरेप किया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को हर स्तर पर दबाने की कोशिश की गई लेकिन मीडिया की सजगता से सारा मामले सामने आ चुका है।

हरियाणा सरकार इस मामले में जब आलोचना और प्रदर्शनों का सामना कर रही थी तो इसी दौरान बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या हो गई और उस मामले में लव जिहाद एंगल उछाल दिया गया। दक्षिणपंथी संगठन आये दिन अपनी ही पार्टी वाली सरकार के राज में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नैशनल हाईवे रोक रहे हैं। उनकी मांग है कि गिरफ्तार आरोपी तौसीफ को फांसी दी जाए, विकास दूबे जैसा एनकाउंटर कर दिया जाए। अब 5 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है तो बुटाना कांड का सामना बल्लभगढ़ के कथित लव जिहाद कांड से करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)